पत्नी ने अपना गुर्दा दान कर बचाई पति की जान

- सत्यमेव जयते ने गुर्दा प्रत्यारोपण में की मदद
- मां को देना था गुर्दा, जांच के बाद चिकित्सकों ने किया मना

जासं, आगरा: सात फेरे लेते समय पति के साथ जीने-मरने और हर दुख-सुख में साथ देने का संकल्प लिया था। पति के जीवन पर संकट आया, तो पत्नी आगे आई और अपना गुर्दा पति को दान कर दी।

मामला है आगरा कैंट निवासी अनिल कुमार का। उनके दोनों गुर्दे खराब थे। सत्यमेव जयते ट्रस्ट की मदद से अनिल के गुर्दे का प्रत्यारोपण सफल रहा। पहले अनिल को उनकी मां मोनू देवी गुर्दा देने वाली थीं, लेकिन जांच में मेल न खाने पर अनिल की जान बचाने के लिए पत्नी डोली आगे आईं। नोएडा स्थित जेपी हास्पिटल एंड हेल्थ केयर में 22 फरवरी को अनिल का गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ। ट्रस्ट की पहल पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 4,75,000 रुपये की मदद भी मिली। अनिल के आपरेशन, जांच, आने-जाने आदि में कुल खर्च 12 लाख रुपये खर्च हुए। किराये पर रहने वाले अनिल कुमार (31 वर्ष) की चार साल से ट्रस्ट के सहयोग से डायलिसिस हो रही थी। गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद हास्पिटल से अनिल की छुट्टी हो गई है। उन्हें अभी दो-तीन महीने आइसोलेशन में रहना होगा। इसके लिए नोएडा में ही दो कमरे की व्यवस्था की गई है। महामंत्री गौतम सेठ व रोहित अग्रवाल का सराहनीय सहयोग रहा। अध्यक्ष मुकेश जैन ने सभी सहयोगियों का आभार जताया है।

फर्जी ले. कमांडर के जाल में फंसे थे 33 युवा

नोएडा से गिरफ्तार कर जेल भेजा था आरोपित, बरामद हुआ वर्दी समेत अन्य सामान

जागरण संवाददाता, आगरा: नोएडा से गिरफ्तार हुए फर्जी लेफ्टिनेंट कमांडर ने कई जिलों में ठगी का जाल बिछा रखा था। रक्षा मंत्रालय के एक कर्मचारी से मिलीभगत के चलते वह नौकरी के नाम पर कई युवाओं से लाखों रुपये वसूल चुका था। लग्जरी लाइफ जी रहे फर्जी लेफ्टिनेंट की ठगी के शिकार हुए 33 लोगों की जानकारी एसटीएफ को मिल चुकी है। अन्य के बारे में एसटीएफ की आगरा यूनिट जानकारी जुटा रही है।

फर्जी लेफ्टिनेंट ● सौजन्य एसटीएफ

मूलरूप से कासगंज के सहावर गेट में नगला अस्थर निवासी अतुल माथुर को एसटीएफ आगरा यूनिट ने नोएडा के सेक्टर 113 से बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वह नोएडा के आम्रपाली जोडियाक अपार्टमेंट के फ्लैट में रहता था। एसटीएफ ने पूछताछ की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आरोपित से रक्षा मंत्रालय का कर्मचारी अजय मिला हुआ था। अतुल माथुर युवाओं से सेना और नेवी में नौकरी लगवाने के नाम पर 10 से 20 लाख रुपये तक लेता था। अजय, रक्षा मंत्रालय का पास और उनका लेटर भी जारी कर देता था। कर्मचारी की मिलीभगत से आरोपित तीन युवाओं की चतुर्थ श्रेणी और क्लर्क के पद पर नौकरी भी लगवा चुका है।

एसटीएफ के इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा के अनुसार, ठगी के शिकार हुए 33 युवाओं के नाम मिल चुके हैं। इनमें से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कासगंज और फर्रुखाबाद के युवा शामिल हैं। यह संख्या और अधिक हो सकती है। अतुल माथुर इंजीनियरिंग करने के बाद किसी सेवानिवृत्त सेना अधिकारी से मिला था। उन्होंने प्रभावित होकर एक अन्य अधिकारी के पास रोजगार के लिए भेज दिया था। एक वर्ष तक अधिकारी के पास रहते हुए ही आरोपित ने नौसेना के बारे में जानकारी हासिल की।

मोबाइल की जांच में मिला पाकिस्तान का लिंक

आरोपित के पास करीब 1.25 लाख रुपये का मोबाइल था। इसकी जांच में पाकिस्तानी लिंक मिला है। जांच एजेंसी के अनुसार ऐसे लिंक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी मोबाइल हैक कर डाटा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती है। आशंका है कि खुफिया एजेंसी ने नौसेना अधिकारी समझकर आरोपित का मोबाइल हैक किया होगा। आरोपित के मोबाइल को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा।

रक्षा मंत्रालय के पत्र और आइकार्ड भी मिले

एसटीएफ के अनुसार, आरोपित अतुल माथुर से रक्षा मंत्रालय के पत्र, आइकार्ड और डेबिट कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। इन सभी पर भी लेफ्टिनेंट अतुल लिखा है। आरोपित फर्रुखाबाद की एक युवती के साथ लिव इन रिलेशन में था। उसके स्वजन को भी वह नौसेना अधिकारी बताता था। युवती की मां के साथ उसका वर्दी में फोटो भी एसटीएफ को मिला है।

'खेल' में फंसी जिला पंचायत के अधिकारियों की गर्दन

संसू, खेरागढ़: कस्बे में बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव नीलाम करने वाले जिला पंचायत अधिकारियों की गर्दन फंस गई है। मामले के प्रकाश में आने के बाद एसडीएम अनिल कुमार सिंह ने जिला पंचायत के अधिकारियों को पत्र लिख अभिलेख तलब किए हैं। एसडीएम का कहना है कि अभिलेखों की जांच कराई जाएगी। गड़बड़ी की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई होगी।

खेरागढ़ में सैंया रोड और बाइपास रोड पर स्वास्थ्य विभाग की 14 बीघा जमीन है। इस बेशकीमती जमीन को जिला पंचायत ने वर्ष 2010 से 2022 तक 23 आवंटियों को कौड़ियों के भाव में नीलाम कर दिया। सूत्रों के अनुसार इन आवंटियों से 50 हजार रुपये की पगड़ी वसूली थी। कहा गया था कि 500 रुपये मासिक किराया लिया जाएगा लेकिन न मौके पर दुकानें बनीं और न ही आवंटियों से किराया वसूला गया।

ये है नीलामी की प्रक्रिया: नीलामी प्रक्रिया के संबंधित अधिकारी ने बताया कि जिला पंचायत द्वारा पहले स्वास्थ्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना चाहिए था। इसके बाद मानकों के अनुरूप दुकानों का निर्माण होना था। दुकानों की किराए पर नीलामी होती तो जिला पंचायत के राजस्व में वृद्धि निश्चित थी।

इनके नाम हुआ है भूखंड

रघुवीर सिंह, नीतू, हेमंत, मीना देवी, कमलेश, रचना, जालिम सिंह, सुभाष सिंह, रमनदीप परमार, सचिन कुमार शर्मा, गोपाल, शिवप्रताप, संजय, देवेंद्र शर्मा, मदन मोहन, सीमा, भागीरथ, दुर्गेश त्यागी, नरेश कुमार, कमलेश, दीनानाथ गर्ग, हरिओम गर्ग और सुशील गर्ग।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, मथुरा बाई पास रोड, आगरा-282007)

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ0प्र0 सरकार के उपक्रम दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, द्वारा टू-अप वर्ष 2021-22, ए0पी0आर0 वर्ष 2022-23 एवं सकल राजस्व आवश्यकता वर्ष 2023-24 की याचिका दिनांक 09.01.2023 को मा0 आयोग में प्रस्तुत की गई थी। मा0 आयोग ने अपने आदेश दिनांक 28.02.2023 द्वारा उक्त याचिका स्वीकार कर ली है। मा0 आयोग के उक्त आदेश के अनुपालन में याचिका के मुख्य अंश उपभोक्ताओं, स्टेकहोल्डर्स एवं आम जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् सूचित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	विवरण	ट्रू-अप वित्तीय वर्ष 2021-22	ए0पी0आर0 वित्तीय वर्ष 2022-23	ए0आर0आर0 वित्तीय वर्ष 2023-24
1	ऊर्जा क्रय (वितरण निगम की परिधि पर) (मि0यू0)	25,725	26,647	27,404
2	ऊर्जा विक्रय (मि0यू0)	19,129	21,304	22,718
3	अनुमोदित वितरण लाईन हानियाँ (%)	11.33%	10.90%	10.52%
	वास्तविक /प्रस्तावित वितरण लाईन हानियाँ (%)	25.64%	20.05%	17.10%
4	इन्ट्रा स्टेट पारेषण हानियां (%)	3.33%	3.27%	3.22%
	व्यय (रू0 करोड़)			
5	ऊर्जा क्रय मूल्य (पी0जी0सी0आई0एल0 सम्मिलित)	10,208.34	10,758.23	12,512.76
6	ट्रांसमिशन चार्जेज (यू0पी0पी0टी0सी0एल0)	698.78	656.84	675.51
7	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय (नेट ऑफ कैपिटालाईजेशन)	1,571.28	1,577.90	1,410.15
8	स्मार्ट मीटर ओपेक्स व्यय	46.11	52.18	85.87
9	ब्याज एवं वित्त प्रभाव (नेट ऑफ कैपिटालाईजेशन)	484.73	713.61	754.03
10	ह्रास	433.12	515.11	579.13
11	बैड एवं डाउटफुल डेब्ट्स	208.34	240.91	258.11
12	सकल खर्च	13,650.70	14,514.78	16,275.55
13	रिटर्न ऑन इक्विटी	541.88	609.05	664.05
14	घटायें: अन्य आय	74.34	50.65	50.65
15	सकल राजस्व आवश्यकता	14,118.24	15,073.18	16,888.95
16	टैरिफ से प्राप्त राजस्व	10,417.22	12,045.33	12,905.61
17	राजकीय सहायिकी	3,770.27	3,365.99	3,365.99
18	राजस्व (अन्तर)/अतिरिक्त	69.25	338.15	(617.34)
19	ऊर्जा क्रय दर (Ex-bus) (रू0/यूनिट)	4.47	4.72	5.17
20	औसत ऊर्जा क्रय दर (बी0एस0टी0) (रू0/यूनिट)	4.81	4.99	5.41
21	बी0बी0एस0टी0 दर (रू0/यूनिट)	3.97	4.04	4.57
22	औसत विक्रय दर (शासकीय सहायिकी छोड़कर) (रू0/यूनिट)	5.45	5.65	5.68
23	औसत आपूर्ति लागत (रू0/यूनिट)	7.38	7.08	7.43
24	व्हीलिंग चार्जेज (रू0/यूनिट)			1.04

उपभोक्ता श्रेणी		प्रस्तावित दर विज्ञप्ति (2023-24)		
एल0एम0वी0-1	घरेलू बत्ती, पंखा			
		सब्सिडी रहित टैरिफ	सब्सिडी एवं क्रॉस सब्सिडी	देय टैरिफ
क-	ग्रामीण आपूर्ति			
(1)	लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 कि0वा0 एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 55 प्रति कि0वा0 प्रति माह	–	रू0 55 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रू0 7.00 प्रति यूनिट	रू0 3.50 प्रति यूनिट	रू0 3.50 प्रति यूनिट
(2)	अन्य उपभोक्ता			
	(i) अनमीटर्ड		–	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 985 प्रति कि0वा0 प्रति माह	रू0 435 प्रति कि0वा0 प्रति माह	रू0 550 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	(ii) मीटर सहित संयोजन			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 100 प्रति कि0वा0 प्रति माह	–	रू0 100 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज:			
	प्रथम 100 यूनिट/प्रति माह तक	रू0 7.50 प्रतियूनिट	रू0 3.15 प्रति यूनिट	रू0 4.35 प्रति यूनिट
	101 से 150 यूनिट/प्रति माह तक	रू0 7.50 प्रतियूनिट	रू0 2.65 प्रति यूनिट	रू0 4.85 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रू0 7.50 प्रतियूनिट	रू0 1.50 प्रति यूनिट	रू0 6.00 प्रति यूनिट
	300 यूनिट/माह से अधिक	रू0 8.00 प्रतियूनिट	रू0 1.00 प्रति यूनिट	रू0 7.00 प्रति यूनिट
ख-	सिंगल प्वाइण्ट बल्क लोड			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 120 प्रति कि0वा0 प्रति माह		रू0 120 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 6.50 प्रतियूनिट		रू0 6.50 प्रतियूनिट
ग-	अन्य मीटर सहित संयोजन			
(1)	लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 कि0वा0 एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 55 प्रति कि0वा0 प्रति माह		रू0 55 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रू0 7.00 प्रतियूनिट	रू0 3.50 प्रति यूनिट	रू0 3.50 प्रति यूनिट
उपभोक्ता श्रेणी		अनुमोदित दर विज्ञप्ति (2022-23)		
(2)	अन्य मीटर सहित संयोजन (सभी भार के लिए)			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 120 प्रति कि0वा0 प्रति माह		रू0 120 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज			
	प्रथम 100 यूनिट/प्रति माह तक	रू0 7.50 प्रति यूनिट	रू0 1.00 प्रति यूनिट	रू0 6.50 प्रति यूनिट
	101 से 150 यूनिट/प्रति माह तक	रू0 7.50 प्रति यूनिट	रू0 1.00 प्रति यूनिट	रू0 6.50 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रू0 7.50 प्रति यूनिट	रू0 0.50 प्रति यूनिट	रू0 7.00 प्रति यूनिट
	300 यूनिट/माह से अधिक	रू0 8.00 प्रति यूनिट	–	रू0 8.00 प्रति यूनिट
एल0एम0वी0-2	वाणिज्यिक बत्ती, पंखा			
		सब्सिडी रहित टैरिफ	क्रॉस सब्सिडी	देय टैरिफ
क-	ग्रामीण आपूर्ति			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 115 प्रति कि0वा0 प्रति माह	–	रू0 115 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 7.50 प्रति यूनिट	रू0 1.00 प्रति यूनिट	रू0 6.50 प्रति यूनिट
ख-	अन्य उपभोक्ता			
	फिक्स्ड चार्ज			
	4 कि0वा0 तक			रू0 350 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	4 कि0वा0 से अधिक			रू0 470 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज			
	4 कि0वा0 तक			
	300 यूनिट/माह तक			रू0 8.50 प्रति यूनिट
	300 यूनिट/माह से अधिक			रू0 9.40 प्रति यूनिट
	4 कि0वा0 से अधिक			
	1000 यूनिट/माह तक			रू0 8.60 प्रति यूनिट
	1000 यूनिट/माह से अधिक			रू0 9.75 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज			रू0 800 प्रति कि0वा0 प्रति माह (अप्रैल से सितम्बर) तथा रू0 475 प्रति कि0वा0 प्रति माह (अक्टूबर से मार्च)

एल0एम0वी0-3	सार्वजनिक प्रकाश	
(क)	मीटर रहित संयोजन	
	ग्राम पंचायत	रू0 2200 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह
	नगर पालिका/नगर पंचायत	रू0 3300 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह
	नगर निगम	रू0 4350 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह
(ख)	मीटर सहित संयोजन	
	ग्राम पंचायत	रू0 220 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	नगर पालिका/नगर पंचायत	रू0 270 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	नगर निगम	रू0 270 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	ग्राम पंचायत	रू0 9.20 प्रति यूनिट
	नगर पालिका/नगर पंचायत	रू0 9.70 प्रति यूनिट
	नगर निगम	रू0 10.20 प्रति यूनिट
	टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)	
	18:00 से 06:00 बजे तक	0%
	06:00 से 18:00 बजे तक	(+)20%
एल0एम0वी0-4	निजी एवं सार्वजनिक संस्थाऐं	
(क)	सार्वजनिक संस्थाए	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 330 प्रति कि0वा0प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 9.90 प्रति यूनिट
(ख)	निजी संस्थाऐं	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 360 प्रति कि0वा0प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 10.85 प्रति यूनिट

एल0एम0वी0-5	निजी नलकूप			
		सब्सिडी रहित टैरिफ	सब्सिडी एवं क्रॉस सब्सिडी	देय टैरिफ
क-	ग्रामीण आपूर्ति			
(i)	मीटर रहित संयोजन			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 740 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 550 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 190 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
(ii)	मीटर सहित संयोजन			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 640 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 550 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 90 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 6.70 प्रति यूनिट	रू0 4.50 प्रति यूनिट	रू0 2.20 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रू0 710 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 550 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 160 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
(iii)	इनर्जी एफिशियेन्ट पम्प			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 640 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 550 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 90 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 6.65 प्रति यूनिट	रू0 4.85 प्रति यूनिट	रू0 1.80 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रू0 690 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 550 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 140 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
ख-	शहरी आपूर्ति			
(i)	मीटर सहित संयोजन		क्रॉस सब्सिडी	देय टैरिफ
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 150 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	–	रू0 150 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 6.70 प्रति यूनिट	रू0 0.50 प्रति यूनिट	रू0 6.20 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रू0 215 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	–	रू0 215 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामसभा मे स्थित निजी नलकूप उपभोक्ताओं को, जबतक मीटर स्थापित नही हो जाता है, न्यूनतम राशि रू0 170/बीएचपी/माह का भुगतान करना होगा। रेगुलेटरी सरचार्ज, विद्युत कर एवं टैक्सेज इत्यादि अतिरिक्त देय होंगे।			
	ग. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ऐसे निजी नलकूप उपभोक्ता जिनको विद्युत की आवश्यकता रबी फसल के लिये है (माह नवम्बर से माह फरवरी तक)			रू0 500 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह

एल0एम0वी0-6	लघु एवं मध्यम उद्योग	
क-	शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	
	20 कि0वा0 तक	रू0 310 प्रति कि0वा0प्रति माह
	20 कि0वा0 से अधिक	रू0 310 प्रति कि0वा0प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	20 कि0वा0 तक	रू0 8.55 प्रति यूनिट
	20 कि0वा0 से अधिक	रू0 8.85 प्रति यूनिट
	टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)	
	गर्मियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	0
	सर्दियो हेतु (अक्टूबर से मार्च)	
	06:00 से 11:00 बजे तक	0
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 06:00 बजे तक	(-) 15%
ख-	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ता	
	ग्रामीण आपूर्तित उपभोक्ताओ को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी0ओ0डी0 रेट के अनुमन्य। इस श्रेणी में कोई भी टी0ओ0डी0 दर लागू नहीं होगी।	
एल0एम0वी0-7	जलकल	
क-	शहरी आपूर्ति	
(i)	मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 400 प्रति कि0वा0प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 10.00 प्रति यूनिट
(ii)	मीटर रहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 3500 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	-
ख-	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ता	
	ग्रामीण आपूर्तित उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य।	
एल0एम0वी0-8	राजकीय नलकूप, पंचायतीराज नलकूप तथा पम्प कैनाल	
	इस श्रेणी का एल0एम0वी0-7 में विलय कर दिया गया है। इन सभी उपभोक्ताओं हेतु एल0एम0वी0-7 दर सूची लागू होगी।	
एल0एम0वी0-9	अस्थायी संयोजन	
क-	मीटर रहित संयोजन	
	क. सार्वजनिक प्रकाश, उद्घोषणा एवं समारोह (भार 20कि. वा. प्रति संयोजन तक एवं रू0 100/कि0वा0/दिन प्रत्येक अतिरिक्त कि0वा0 भार के लिए)	रू0 4750 प्रति दिन
	ख. फिक्स्ड चार्ज: मेलों/त्योहारों में अस्थायी दुकान (2 कि. वा. भार तक)	रू0 580 प्रति दिन प्रति दुकान
ख-	मीटर सहित संयोजन	
	(1) व्यक्तिगत आवासीय उपभोक्ता हेतु	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 300 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 9.60 प्रति यूनिट, तृतीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त
	(2) अन्य	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 400 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 10.60 प्रति यूनिट, तृतीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त
	न्यूनतम चार्ज	रू0 450 प्रति कि0वा0/सप्ताह
एल0एम0वी0-10	विभागीय उपभोक्ता	
	इस श्रेणी की दरें एल0एम0वी0-1 के उपभोक्ताओं की भांति होगी।	
एल0एम0वी0-11	इलेक्ट्रिक वेहिकिल चार्जिंग	
1.	घरेलू उपभोक्ता	
	एल0एम0वी0-1 से आच्छादित सभी मीटर्ड घरेलू उपभोक्ता अपने आवास पर अपनी इलेक्ट्रिक वेहिकिल चार्ज करने के लिये अनुमन्य होंगे, बशर्ते इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर भार के कारण जुड़े/अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।	
2.	बहुमंजिला इमारत (एल0एम0वी0-1बी एवं एच0वी0-1 बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत)	
	एल. एम. वी- 1 बी.	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रू0 6.20 प्रति यूनिट
	एच. वी. - 1 बी.	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रू0 5.90 प्रति यूनिट
3.	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन	
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एल. टी.)	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रू0 7.70 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एच. टी.)	डिमाण्ड चार्ज-शून्य, इनर्जी चार्ज- रू0 7.30 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।
4.	अन्य उपभोक्ता	
	अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं (एल0एम0वी0-2, एल0एम0वी0-4, एल0एम0वी0 -6, एल0एम0वी0-7, एल0एम0वी0-8 (मीटर्ड), एल0एम0 वी0-9(मीटर्ड), एच0वी0-1, (एल0एम0वी0-1बी एवं एच0वी0-1बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत बहुमंजिला इमारतों को छोड़कर) एच0वी0-2, एच0वी0-3 और एच0वी0-4) से उनकी सम्बन्धित श्रेणी के लिए लागू टैरिफ के अनुसार शुल्क लिया जाएगा या दूसरे शब्दों में ऐसे उपभोक्ताओं को अलग से विद्युत संयोजन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्युत उपभोक्ता अपने संयोजन केअन्तर्गत चार्जिंग कर सकते है, बशर्ते इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के भार के कारण जुड़े/अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।	
एच0वी0-1	उद्योग रहित बल्क लोड	
(क)	वाणिज्यिक भार/निजी संस्थान/गैर घरेलू बल्क पावर उपभोक्ता हेतु (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11 के.वी. एवं अधिक विभव पर)	
	फिक्स्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रू0 460 प्रति केवीए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रू0 9.57 प्रति के.वी.ए.एच
	फिक्स्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रू0 425 प्रति केवीए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रू0 9.37 प्रति के.वी.ए.एच
(ख)	सार्वजनिक संस्थान हेतु (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11के.वी. एवं अधिक विभव पर)	
	फिक्स्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रू0 400 प्रति केवीए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रू0 8.95 प्रति के.वी.ए.एच
	फिक्स्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रू0 385 प्रति केवीए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रू0 8.75 प्रति के.वी.ए.एच
एच0वी0-2	बड़े एवं भारी उद्योग	
क-	शहरी आपूर्ति (बेस रेट एवं टी0ओ0डी0)	
1.	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति तक	
	डिमाण्ड चार्ज	रू0 330 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 8.30 प्रति के.वी.ए.एच.
2.	11 के.वी. से अधिक एवं 66 के0वी0 तक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रू0 315 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 8.00 प्रति के.वी.ए.एच.
3.	66 के.वी. से अधिक एवं 132 के0वी0 तक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रू0 295 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 7.80 प्रति के.वी.ए.एच.
4.	132 के.वी. से अधिक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रू0 295 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 7.30 प्रति के.वी.ए.एच.
	टाईम ऑफ द डे	
	गर्मियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	0
	सर्दियो हेतु (अक्टूबर से मार्च)	
	06:00 से 11:00 बजे तक	0
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%
ख-	ग्रामीण आपूर्ति	
	ग्रामीण आपूर्ति केवल 11 के0वी0 तक के उपभोक्ताओ को ही अनुमन्य होगी। इस श्रेणी के उपभोक्ता को शहरी आपूर्ति पर लागू बेस रेट पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी0ओ0डी रेट के अनुमन्य। इस श्रेणी में कोई भी टी0ओ0डी0 दर लागू नहीं होगी।	
एच0वी0-3	रेलवे ट्रेक्शन एवं मेट्रो रेल	
(क)	रेलवे ट्रेक्शन	
	डिमाण्ड चार्ज	रू0 440 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 9.90 प्रति केवीएएच
	न्यूनतम चार्ज	रू0 950 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
(ख)	मेट्रो रेल	
	डिमाण्ड चार्ज	रू0 330 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 8.70 प्रति केवीएएच
	न्यूनतम चार्ज	रू0 900 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
एच0वी0-4	लिफ्ट इरीगेशन	
(क)	डिमाण्ड चार्ज	
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	रू0 375 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रू0 370 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रू0 365 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
(ख)	इनर्जी चार्ज	
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	रू0 9.95 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रू0 9.85 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रू0 9.70 प्रति के.वी.ए.एच
(ग)	न्यूनतम चार्ज	रू0 1125 प्रति के.वी.ए. प्रति माह

ट्रू-अप, ए0पी0आर0 एवं ए0आर0आर0 याचिका, आयोग द्वारा प्रेषित डिफिसियेन्सी नोट के उत्तर, प्रस्तावित टैरिफ पर राजस्व (अन्तर)/अतिरिक्त एवं क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज निगम की वेबसाईट (www.dvvnl.org) पर उपलब्ध हैं। समस्त स्टेक-होल्डर, आम जनता तथा सभी उपभोक्ता समय-समय पर लाइसेन्सी द्वारा प्रेषित अभिलेखों की अद्यतन जानकारी निगम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

सभी सम्बन्धित उपभोक्ता, संस्था, अनुज्ञप्तिधारक और सरकार के विभाग अपने प्रतिवेदन नोटराइज्ड शपथपत्र के साथ छह प्रतियों में जिसमें चार प्रति सचिव, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को तथा दो प्रतियाँ प्रबन्ध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ऊर्जा भवन, मथुरा बाई पास रोड, आगरा-282007 को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों में प्रेषित कर सकते हैं। राष्ट्रहित में बिजली बचायें

Ro - 2788 Date : 02-03-2023

प्रबन्ध निदेशक

****